हलचल

उद्यमी बोले, पंजाब सरकार की न कोई उद्योग पॉलिसी न ही कोई छूट, उद्योगपतियों का पसंदीदा बना

लुभावनी रियायतों से लुधियाना के उद्योग खींच रहा यूपी

विजय मौर्य

लुधियाना। लुधियाना के उद्योगपतियों की ओर से उत्तर प्रदेश में यूनिट लगाए जाने के कदम से जहां प्रदेश की राजनीति में गरमाहट है। वहीं उद्योग जगत में भी हलचल है। उद्योगपतियों के यूपी जाने के फैसले को पंजाब के लिए झटका माना जा रहा है। उद्योग वहां क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है। असल में यूपी सरकार उद्योगों के लिए लुभावनी रियायतें दे रही है। इस वजह से उद्यमियों के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है।

यूपी में उद्योग लगाने पर स्टेट जीएसटी में नौ प्रतिशत आठ साल के लिए छूट दी गई है, जबकि पंजाब में उद्यमियों को कुल 18 प्रतिशत टैक्स देना होता है। इनमें केंद्र का नौ और स्टेट का नौ प्रतिशत जीएसटी है। उद्यमियों को यूपी में उद्योग लगाने पर केवल केंद्र का नौ प्रतिशत टैक्स देना ही होगा, स्टेट का नौ प्रतिशत टैक्स बचेगा। उद्योग लगाने के लिए पंजाब में जमीन महंगी है। पंजाब में प्रति एकड़ करीब 40 लाख से एक करोड़ रुपये जमीन की कीमत पड़ती है, जबकि यूपी में 20 लाख रुपये से भी कम प्रति एकड़ जमीन की कीमत पड़ रही है। दिलचस्प है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने पर सरकार ने स्टांप ड्यूटी फ्री कर दी है। इसका सरकार भुगतान करेगी। पंजाब में स्टांप ड्यूटी काफी महंगी पड़ती है। पंजाब में पिछले कुछ वर्षों से बड़ी इंडस्ट्री की मशीनरी पर सब्सिडी बंद कर दी गई है। यूपी में सरकार मशीनरी की खरीद पर 30 प्रतिशत सब्सिडी देगी। इसके अलावा यूपी में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जहां एक बार में सभी तरह की एनओसी मिल जाती है और उद्योगपतियों को भटकना नहीं पड़ता है। इसे सीएम खुद देख रहे हैं। इससे किसी तरह का भ्रष्टाचार हो पाता है। उद्यमी की फाइल लटकती नहीं है। पंजाब में सिंगल विंडो सिसटम नहीं है। पंजाब में उद्योगों को साढ़े आठ रुपये प्रति यूनिट बिजली पड़ रही है। इसके विपरीत यूपी में करीब पौने सात रुपये प्रति यूनिट बिजली है। यूपी सरकार ने आने वाले समय में बिजली और सस्ती देने का वादा किया है। इसके अलावा बिजली सप्लाई 24 घंटे दी जा रही है। (संवाद)

यूपी में इंडस्ट्री लगाने की बड़ी वजहें

■ जमीन सस्ती ■ बिजली 24घंटे व सस्ती दर ■ भ्रष्टाचार न के बराबर ■ स्टेट जीएसटी टैक्स में आठ साल की छूट व अन्य कई तरह की छूट ■ एक छत के तले इंडस्ट्री को मिल रहे प्रदूषण के एनओसी व लाइसेंस ■ मजबूत व्यवस्था कानून